राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 293

प्रगति

समाचार पत्र

अक्तूबर 2019

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

रोजगार के अवसरों में सुधार, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए युवाओं का वित्तीय समावेश

3 रोजगार के अवसरों में सुधार, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए युवाओं का वित्तीय समावेश

विषय-सूची

5
सीडीसी ने आयोजित किया ग्रामीण विकास पर गांधी की प्रासंगिकता और प्रभाव पर व्याख्यान

6
पीएमजीएसवाई सड़कों की योजना और प्रबंधन के लिए स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

7
एनआईआरडीपीआर ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाई

8
एनआईआरडीपीआर ने मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस

8
सतत ग्रामीण आजीविका के लिए विज्ञान-आधारित गोशाला प्रबंधन पर टीओटी

9
एनआईआरडीपीआर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह संपन्न

10
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आंतरिक लेखापरीक्षा पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पर टीओटी कार्यक्रम

11
जीपीडीपी के लिए जन योजना अभियान, 2019 - सबकी योजना सबका विकास

12
एनआईआरडीपीआर में आयोजित की गई इटीसी की दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

14
संकट प्रवास की जाँच: नुआपाड़ा ब्लॉक ओडिशा से एक मामला अध्ययन

रोजगार के अवसरों में सुधार, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए युवाओं का वित्तीय समावेश

वित्त या वित्तीय समावेशन तक पहुँच जनसंख्या के प्रत्येक और हर वर्ग के लिए वित्तीय सेवाओं को व्यापक बनाना है । यह वित्तीय साक्षरता से शुरू होता है, जो लोगों को उपयुक्त वित्तीय उत्पादों का चयन करता है । वित्तीय समावेशन जमा, ऋण, भुगतान, धन हस्तांतरण, बीमा और पेंशन जैसे वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है ।

एक शोध से पता चलता है कि वित्तीय समावेशन के उच्च स्तर वाले देशों में लगातार उच्च जीडीपी विकास दर और आय असमानता की कम दर है । गरीबी के मुद्दे को खत्म करने के लिए वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है । असंगठित वित्तीय प्रणाली से जुड़ी कई जटिल वित्तीय जरूरतें और विशेषताएं गरीब भारतीय परिवारों को कर्ज के जाल में फंसा रही हैं (देखें आंकड़ा 1) । घरों की कम आय, पारंपरिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा निर्धारित जटिल वित्तीय आवश्यकताएं आपातकालीन ऋण को जन्म देती हैं और परिवारों को कर्ज के जाल में धकेल देती है ।

कर्ज को जन्म देने वाले भारतीय परिवारों की जटिल वित्तीय जरूरतें हैं:

- कृषि पर निर्भरता सहित अनौपचारिक श्रम बाजार व्यवस्था के कारण आय कम और अनियमित है
- परिवारों द्वारा धन का आबंटन पारंपरिक और सांस्कृतिक कारकों से निर्धारित होता है, जैसे उच्च निश्चित लागत के साथ विवाह भारतीय परिवारों में धन का एक बड़ा हिस्सा भौतिक संपत्ति के रूप में है, विशेष रूप से, सोना और भूमि, जिसके परिणामस्वरूप आय का नियमित निर्गम नहीं होता है

यह केवल तभी होता है जब युवा आबादी को बैंकिंग की सुविधा मिले और औपचारिक वित्तीय सेवाओं के साथ परिचय, उद्यमशीलता की आकांक्षाएं एक वास्तविकता बन जाती हैं, रोजगार के अवसरों में सुधार होता है और विकास समान और टिकाऊ हो जाता है ।

- बचत, आजीविका गतिविधियों, बीमा और पेंशन में निवेश के लिए कोई धन नहीं बचा है ।
- चूंकि बचत, निवेश, बीमा और पेंशन नहीं हैं, इसलिए निधि की जरूरत कर्ज से पूरी करनी पढ़ती है । यह व्यय का प्रकार है जिसके लिए देयता होती है, और वित्तीय आवश्यकता की तात्कालिकता लोगों को गैर-संस्थागत स्रोतों के लिए ऋण की उच्च लागत, ब्याज के पुनर्भुगतान और ऋण जाल के लंबे चक्र तक ले जाती है ।

वित्तीय समावेशन: एक वैश्विक चुनौती

विश्व बैंक के अनुसार, दुनिया भर में, खाते के स्वामित्व में निरंतर वृद्धि के बावजूद, लिंग, आय, आयु, शैक्षिक स्तर, रोजगार की स्थिति और निवास स्थान, अर्थात्, ग्रामीण या शहरी के आधार पर, खाते के स्वामित्व में असमानताएं बनी रहती हैं । यद्यपि युवाओं के वित्तीय समावेशन और श्रम बाजार के प्रभाव पर वैश्विक साहित्य बहुत कम है, लेकिन कुछ सबूत हैं कि वित्तीय समावेशन के हस्तक्षेप से सकारात्मक रोजगार परिणाम हो सकते हैं । वित्तीय समावेशन सीधे युवाओं को रोजगार में बदलने में मदद करता है, जब वे अपना उद्यम शुरू करते हैं । औपचारिक वित्त के साथ, उद्यम की लागत का बोझ उनके व्यवसायों को बनाए रखने और विकसित करने की सुविधा की उचित दरों के कारण कम होगा । वित्तीय समावेशन के अप्रत्यक्ष लाभ बेहतर जोखिम प्रबंधन, पूंजी के वितरण और कम लेनदेन लागतों की ओर हैं ।

चित्र 1: ऋण जाल का दुष्चक्र

वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियाँ

सभी अच्छी तरह से जानते है कि वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण सेवाओं के सार्वजनिक प्रावधान गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक हैं। बुनियादी बैंकिंग के सार्वभौमिकरण, सरल बीमा और पेंशन उत्पादों तक पहुंच के लिए कई समितियों ने सिफारिश की है। बैंकिंग, बीमा और पेंशन की एक्सेस ' जन-धन से जन सुरक्षा ' के जरिए संभव हुई । इनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शामिल हैं । फरवरी 2018 में घोषित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) ने जन सुरक्षा को एक व्यापक (व्यापक) जन सुरक्षा बना दिया। भारत में, ' जन-धन से जन सुरक्षा ' ने निम्न-आय वाले परिवारों के चिंतन को बाधित कर दिया, कि वित्तीय उत्पादों की एक्सेस समाज में उत्कृष्ट समूहों के लिए आवश्यक है और महिलाओं और गरीब वयस्कों को लाभार्थी बनाते हैं।

भारत सरकार ने महसूस किया कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बीच उद्यमशीलता की वृद्धि में बड़ी बाधा इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता का अभाव है । 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में वित्त के औपचारिक स्रोतों तक पहुँच नहीं है । साहूकारों और अनौपचारिक स्रोतों के आधार पर छोटे उद्यमियों को बचाने के लिए, 8 अप्रैल, 2015 को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की गई । मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे विनिर्माण इकाइयों, सेवा क्षेत्र की इकाइयों, दुकानदारों, क्षुद्र विक्रेताओं, ट्रक ऑपरेटरों, खाद्य-सेवा इकाइयों, मरम्मत की दुकानों, मशीन ऑपरेटरों, छोटे उद्योगों, कारीगरों, खाद्य प्रोसेसर के रूप में चल रहे लाखों स्वामित्व और भागीदारी फर्मों की सहायता करना है । पीएमएमवाई का ऋण रुपये 1 0 लाख तक संपार्श्विक मुक्त हैं और तीन श्रेणियों में उपलब्ध हैं। वो हैं 'शिशु', 'किशोर' और तरुण ' नाम की ऋण सीमाएँ क्रमशः रु. 50,000 तक, रु. 50,000 से रु. 5 लाख और रु. 5 लाख से रु. 10 लाख तक।

विश्व बैंक, भारत सरकार की नीति के अनुसार, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के अपने सभी प्रयासों के साथ, बैंक खाते वाले लोगों की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत हो गई है । भारत खाता स्वामित्व में लिंग और अमीर तथा गरीब के बीच अंतर को कम करने में भी सक्षम रहा । लेकिन, 10 में से लगभग 4 असंबद्ध वयस्क 15-24 आयु वर्ग में हैं।

भारत के लिए वर्तमान चुनौती

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख चुनौती शेष 20 प्रतिशत बिना बैंक के और युवाओं की पूर्ण वार्षिक आय को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है।

भारत में, कुल जनसंख्या में युवाओं की आबादी (15-34 वर्ष) की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और यह 34.8 प्रतिशत है, और पूर्ण संख्या में, यह 2011 की जनगणना के अनुसार 422 मिलियन रही । यह भी अनुमान है कि, 2011 और 2021 के बीच हर साल 5.7 मिलियन युवा जुड़ते हैं।

विजय महाजन, मूल सामाजिक उद्यम समूह, पीआरएडीएएन के संस्थापक और जिन्होंने भारत की पहली गैर-बैंक सूक्ष्म-वित्त कंपनी को बढ़ावा दिया, ने कहा कि युवाओं का भारतीय आबादी का सबसे बड़ा वर्ग होने के नाते, उन्हें कृषि गैर-कृषि क्षेत्र में और शहरी स्वरोजगार क्षेत्र में कृषि से अलग करने के लिए अपनी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता है।

भारतीय वित्तीय समावेशन एजेंडा एक सतत घटना होनी चाहिए और युवाओं को रोजगार के अवसरों में सुधार, सतत विकास और युवाओं को बनाने में असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:

आर्थिक रूप से साक्षर; पैसे और कर्ज को समझदारी से प्रबंधित करना । आर्थिक रूप से शामिल; औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण की बचत करें और उसका लाभ उठाएं। बीमा के माध्यम से जोखिम कम करें और उनकी सेवानिवृत्ति और पेंशन की योजना बनाएं।

डॉ. भवानी अक्कापेद्दी
परियोजना सलाहकार
वित्तीय समावेशन और उद्यमिता केंद्र
(सीएफआईई)
कवर पेज डिजाइन: **श्री वी. जी. भट**

सीडीसी ने आयोजित किया ग्रामीण विकास पर गांधी की प्रासंगिकता और प्रभाव पर व्याख्यान

लाइब्रेरी व्याख्यान के दौरान श्रोताओं को संबोधित करते प्रो. के. श्रीनिवासुलु

विकास प्रलेखन और संचार केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने प्रोफेसर के श्रीनिवासुलु, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा 1 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह के अवसर पर 'ग्रामीण विकास पर गांधी की प्रासंगिकता और प्रभाव' पर एक व्याख्यान का आयोजन किया।

मुख्य अतिथि का स्वागत प्रोफेसर ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीजीजी और पीए ने किया। श्रीनिवासुलु ने कहा कि "गांधी एक स्वतंत्र विचारक थे और उन्होंने सभी सिद्धांतों को परिभाषित किया । शांति आंदोलनों और पर्यावरणीय आंदोलनों सहित मौजूदा समय के सामाजिक आंदोलनों ने गांधीवादी विचारधारा से अपने विचारों और प्रथाओं को प्राप्त किया है, "उन्होंने कहा।

इसे स्वीकार किए बिना किसी विचार का मनोरंजन करना एक शिक्षित दिमाग का चिह्न है। गांधीवादी विचारधारा के विभिन्न स्कूल हैं उनमें से एक रूढ़िवादी स्कूल है । लेकिन दुनिया भर में चीजें बदल गई हैं और अगर गांधी खुद एक गांव में होते, तो उनके लिए मौजूदा परिस्थितियों में इसे पहचानना मुश्किल होता। यह गांधी की भावना है जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि को रणनीति और संगठित करने की पद्धति में बदलाव के रूप में कहा जा सकता है। गांधी के महत्व को जूडिथ ब्राउन ने 'गांधीज राइज़ टू पावर: इंडियन पॉलिटिक्स 1915-1922' में इंगित किया था, जो गांधी पर उनका काम था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि गांधी आम आदमी के बीच संकट की पहचान करने और पहचानने वाले देश के पहले व्यक्ति थे, " प्रो. श्रीनिवासुलु ने कहा।

"रणजीत गुहा ने लिखा कि गांधी के चित्र में आने से पहले कई विद्रोह हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस तरह की प्रसिद्धि हासिल नहीं की थी। गांधी ने आम आदमी के संघर्षों का अवलोकन किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन मुद्दों को संबोधित किए बिना राष्ट्रवादी आंदोलन का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

"दादा भाई नौरोजी ने भारत में गरीबी और गैर अंग्रेजों के शासन को लिखा," वह आर्थिक लेंस के माध्यम से देख रहे थे और आर्थिक शोषण पर केंद्रित था । इसके विपरीत गांधी ने आध्यात्मिक लेंस के माध्यम से उपनिवेशवाद को देखा। गांधी ने कहा कि ब्रिटिशों को नैतिक रूप से अपमानित किया गया था और उन्हें शांति और सह-अस्तित्व के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, "ऐसा प्रो. श्रीनिवासुलु ने कहा।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आडम स्मिथ ने उस पूंजी संचय का उल्लेख किया; तकनीकी उन्नयन दक्षता और उत्पादकता को बढ़ावा दे सकता है, जिसे विकास को प्राप्त करने के लिए समाधान के रूप में देखा गया । लेकिन गांधी ने कहा कि भारत एक श्रम अधिशेष देश रहा और ऐसी नीतियां देश के लिए काम नहीं कर सकतीं क्योंकि प्रौद्योगिकी में मानव श्रम को प्रतिस्थापित करने की प्रवृत्ति है।

"गांधी ने याद दिलाया कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और संसाधनों के विनाश के साथ विकास नहीं होना चाहिए। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होने पर ही समाज का स्वस्थ विकास संभव है। 19 वीं शताब्दी के विचारकों ने अपने स्वयं के क्षेत्रों में विकास के पश्चिमी मॉडल के नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला। हिंद स्वराज गांधी द्वारा लिखा गया था जब वे राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से अशांति से गुजर रहे थे । पुस्तक में, उन्होंने उपभोक्तावादी सभ्यता की आलोचना की, " उन्होंने कहा।

प्रो. श्रीनिवासुलु ने टिप्पणी की कि ग्रामीण विकास में प्रतिभागियों को विकास के उद्देश्यों और

विनाशकारी उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी के बीच अंतर करना चाहिए।

प्रो. श्रीनिवासुलु ने कहा कि गांधी ने स्वीकार किया कि भारतीय गाँव आत्मनिर्भर थे और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई विकास योजना लागू की जाती है, तब इसमें गाँव में मौजूद किसान, कलात्मकता और अन्य लोग शामिल होने चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में, चीजें बहुत बदल गई हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश के नुक्कड़ में प्रवेश किया है।

यदि आत्मनिर्भर भारतीय गाँव दूसरों की ज़रूरतों के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, तो उपज का परिवहन करना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि अधिक ऊर्जा के लिए मांग की गई है। डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीडीसी ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

-सीडीसी पहल

पीएमजीएसवाई सड़कों की योजना और प्रबंधन के लिए स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

लाइब्रेरी व्याख्यान के दौरान श्रोताओं को संबोधित करते प्रो. के. श्रीनिवासुलु

ग्रामीण विकास में भूसंसूचना अनुप्रयोग केन्द्र (सीगार्ड), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने 14-17 अक्टूबर, 2019 के दौरान एसआईआरडी- मेघालय के सहयोग से "पीएमजीएसवाई सड़कों की योजना और प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकीयों" पर एक चार दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मेघालय में किया गया।

पहले दिन, डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर (सीगार्ड) और कार्यक्रम निदेशक ने कार्यक्रम कार्यसूची और उद्देश्यों जैसे कि भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी की अवधारणा, रोड मैपिंग के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, पीएमजीएसवाई योजना के लिए जीआईएस डेटा परतों का विश्लेषण और ग्रामीण सड़कों के प्रबंधन पर प्रकाश डाला। डॉ. ए. सिम्हाचलम, सहायक प्रोफेसर (एनईआरसी) और कार्यक्रम के सह-निदेशक ने स्थानिक विश्लेषण और योजना में जीआईएस-आधारित उपकरणों का उपयोग करने और मोबाइल आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए पीएमजीएसवाई सड़कों के पास से फ़ील्ड डेटा संग्रह के साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया। प्रशिक्षण में पीएमजीएसवाई / पी डब्ल्युडी / आरआर इंजीनियर्स के कुल 44 अधिकारियों ने भाग लिया।

मोबाइल जीपीएस का उपयोग कर डेटा संग्रह के लिए कार्यक्रम में एसआईआरडी कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती अल्मा दोहलिंग, मुख्य संकाय, एसआईआरडी, मेघालय के साथ एक क्षेत्र दौरा भी शामिल था। प्रतिभागियों को टीमों में विभाजित किया गया और उन्होंने विभिन्न परिसंपत्तियों, विशेष रूप से सड़कों और उनकी स्थितियों पर डेटा एकत्र किया, जबकि क्षेत्र से डेटा एकत्र करते हुए, प्रतिभागियों ने फील्ड स्थितियों की कल्पना और अनुभव किया। समापन सत्र में, इंजी. बी. राईन, आईटी नोडल अधिकारी, राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए), मेघालय ने वैदिक संबोधन दिया और प्रतिभागियों से बातचीत की। उन्होंने कार्यक्रम की प्रतिक्रिया मांगी और विभिन्न विकास कार्यक्रमों की निगरानी करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सभी प्रशिक्षित इंजीनियरों को इकट्ठा करना और पीएमएमवाई चरण तीन में जाने से पहले ओएमएमएएस अपलोड करने के लिए सड़कों का स्थानिक डेटा तैयार करना है।

अंत में, उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और प्रमाणपत्र प्रदान किया। प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों, अर्थात्, पश्चिम और पूर्वी गारो हिल्स में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करें। प्रतिभागियों ने महसूस किया कि स्थानिक योजना के रूप में उनकी सड़क सूचना प्रणाली तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम मूल्यवान रहा।

कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीगार्ड, एनआईआरडीपीआर, डॉ. ए. सिम्हाचलम, सहायक प्रोफेसर, उत्तर पूर्वी प्रादेशिक केन्द्र और श्रीमती अल्मा दोहलिंग, कोर फैकल्टी, एसआईआरडी, मेघालय द्वारा किया गया।

एनआईआरडीपीआर ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाई

ऊपर से बाईं ओर घड़ी-वार: डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह के दौरान कर्मचारियों और छात्रों को संबोधित करते हुए; इस अवसर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर एक एफएक्यू पुस्तक का विमोचन; जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट के विशेष अंक का विमोचन; कैंपस परिसर में जागरूकता मार्च के दौरान कर्मचारीगण

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, हैदराबाद ने २ अक्टूबर, २०१९ को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की १५० वीं जयंती मनाई।

इस कार्यक्रम की शुरुआत एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ। डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और अन्य द्वारा परिसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को माला चढ़ा कर की गई । इसके अलावा, डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी ने दर्शकों को संबोधित किया। महानिदेशक ने गांधी पर निर्भरता के बारे में विस्तार से बताया और उन्हें एक प्रभावी संचारक के रूप में याद किया।

इसके अलावा, " प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" शीर्षक वाली एक पुस्तिका डॉ. आर. रमेश, सीआरआई द्वारा लिखित और महात्मा गांधी पर जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट के विशेष अंक का विमोचन किया गया । श्रीमती राधिका रस्तोगी ने परिसर में और सामान्य रूप से प्लास्टिक और मुख्य सफाई का उपयोग प्रतिबंधित करने का संकल्प दिलाया । ग्रामीण संरचना केन्द्र के अध्यक्ष डॉ. पी. शिवराम ने भी बात की।

कैंपस में बीवीबीवी स्कूल के बच्चों ने प्लास्टिक के उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। आयोजन के बाद, सभी प्रतिभागियों और संकायों ने राजेंद्रनगर जंक्शन की ओर एक जागरूकता मार्च निकाला और स्थानीय नागरिकों के साथ बातचीत करके उन्हें प्लास्टिक के उपयोग के बारे में जागरूक किया और इससे कैसे बचा जाए।

- सीडीसी पहल

एनआईआरडीपीआर ने मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस

डॉ. डब्लू. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर राष्ट्रीय एकता शपथ का दिलाते हुए

भारत के लौह पुरुष, सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने की घोषणा करते हुए, 31 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया।

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने सभी सदस्यों को अंग्रेजी में राष्ट्रीय एकता का संकल्प दिलाया। बाद में, शशि भूषण, (एफए) और एफएम, एनआईआरडीपीआर ने हिंदी में शपथ दिलाई।

- सीडीसी पहल

सतत ग्रामीण आजीविका के लिए विज्ञान-आधारित गोशाला प्रबंधन पर टीओटी

डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (बाएं से पहली पंक्ति तीसरे) और
डॉ. वाई. रमना रेड्डी, प्रोफेसर और अध्यक्ष, आजीविका केन्द्र (बाएं से पहली पंक्ति चौथे) टीओटी कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागियों के साथ।

आजीविका केन्द्र (सीएफएल) द्वारा सतत ग्रामीण आजीविका के लिए विज्ञान आधारित गोशाला प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद में 23 से 27 जुलाई, 2019 तक एनआईआरडीपीआर, राजेंद्रनगर, हैदराबाद में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को गोशाला की अवधारणा, प्रबंधन, गोशाला में डेयरी झुंड का भक्षण, गोशाला की व्यवहारिक अर्थशास्त्र, हरित रोजगार सृजन के लिए गाय के गोबर से बायोगैस और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, देसी गायों के दूध, गोबर और मूत्र के अतिरिक्त मूल्य, मानव चिकित्सा और प्राकृतिक खेती में गाय आधारित उत्पादों का उपयोग पर प्रकाश डाला गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में 13 इन-हाउस व्याख्यान, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी), एनआईआरडीपीआर के वर्मीकम्पोस्ट इकाई का दौरा और अन्य दो क्षेत्र के दौरे शामिल थे। एक यात्रा श्री वेंकटेश गोरक्षणी ट्रस्ट, डिबिलपुर, मेडचल में की गई, जहां गोशाला में शुद्ध गिर गायों की देखरेख की जाती है और दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) तुनिकी, मेदक (जिला) में है, जहां प्राकृतिक जैविक खेती की जाती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विभिन्न संगठनों से 43 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से 31 ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिभागियों में आंध्र प्रदेश के छह, गोवा के पांच, गुजरात के दो, हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब के एक-एक, महाराष्ट्र के चार, ओडिशा के पांच, तमिलनाडु और तेलंगाना के तीन-तीन लोग शामिल थे। प्रतिभागियों में से छह पशु चिकित्सक, तीन कृषि अधिकारी, 17एनजीओ, एक पशु चिकित्सा कॉलेज का एक शिक्षण संकाय, एक केवीके-आईसीएआर से एक विषय विशेषज्ञ और तीन (छात्र / किसान) थे।

टीओटी का समन्वयन डॉ. वाई. रमना रेड्डी, प्रोफेसर और अध्यक्ष, आजीविका केन्द्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया।

एनआईआरडीपीआर ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया

डॉ. डब्लू. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान एकता शपथ दिलाते हुए

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने भ्रष्टाचार के खतरे के प्रति जागरूकता लाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश के अनुसार २८ अक्टूबर से २ नवंबर, २०१९ तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया । इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय है अखंडता- जीने का एक तरीका ।

२८ अक्टूबर को डॉ बी आर अंबेडकर ब्लॉक के सामने आयोजित एक सभा में डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर के साथ संस्थान का अवलोकन शुरू हुआ ।

दर्शकों को संबोधित करते हुए, महानिदेशक ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए निवारक उपायों को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला और चाहते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी सदस्य सतर्कता बरतें और नैतिक प्रथाओं का पालन करें ।

इसके अलावा, उन्होंने कर्मचारियों को अंग्रेजी में प्रतिज्ञा दिलाई । इसके बाद श्री शशि भूषण, वित्त सलाहकार (एफएम) और एफए द्वारा हिंदी में शपथ दिलाई गई । श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह संदेश पढ़ा ।

दोपहर में, सतर्कता जागरूकता व्याख्यान श्री गोवर्धन राव, रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वरंगल द्वारा दिया गया । मुख्य अतिथि का परिचय सतर्कता प्रबंधक सुश्री जया कृष्ण ने किया । श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि एक कर्मचारी को संगठन के प्रति ईमानदार और नैतिक होना चाहिए । उन्होंने यह पहचानने के लिए दिशा-निर्देश दिए कि क्या कोई भी घूसखोरी की तरह कोई भ्रष्टाचार कर रहा है । उन्होंने नैतिकता, अखंडता और सतर्कता के बारे में विस्तार से बात की ।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह संदेश पढ़ते हुए

श्री गोवर्धन राव ने कहा कि सभी कर्मचारी नेताओं की तरह हैं और उन्हें अच्छे वित्तीय फैसले लेने चाहिए । यदि वे संगठन के लिए कोई संसाधन प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें व्यावहारिक रूप से अपने दायरे में सोचना चाहिए और पैसा खर्च करना चाहिए । यह करदाताओं का पैसा है जो खर्च किया जा रहा है । उन्होंने सतर्कता के लिए 'पांच सी' दिया, जिसमें देखभाल और करुणा, साहस और योगदान के लिए प्रतिबद्धता शामिल है । अपने समापन में, श्रीमती राधिका रस्तोगी ने कहा कि कर्मचारी कार्यालय में सतर्क रहना चाहिए और प्रतिस्पर्धी प्राधिकरण को संसाधनों के दुरुपयोग के किसी भी मुद्दे की रिपोर्ट करना चाहिए और उचित बुद्धिमत्ता के उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डाला । एनआईआरडीपीआर के प्रशासनिक प्रबंधक, श्री रामी रेड्डी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया ।

- सीडीसी पहल

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आंतरिक लेखापरीक्षा पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पर टीओटी कार्यक्रम

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (दाएं से पहली पंक्ति में तीसरे),
डॉ. धीरजा, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीएसए (दाएं से पहली पंक्ति में दूसरे), डॉ. श्रीनिवास सज्जा (दाएं से पहली पंक्ति में पहले) और
डॉ. राजेश कुमार सिन्हा (दूसरी पंक्ति दाईं ओर से चौथे) टीओटी कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागियों के साथ

सामाजिक लेखा परीक्षा केन्द्र (सीएसए), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने एनआईआरडीपीआर में 14 से 19 अक्टूबर, 2019 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आंतरिक ऑडिट पर तीन सप्ताह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पर छह दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किया । कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया । उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के महत्व के बारे में बताया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में तीन मॉड्यूल शामिल हैं:
1) ग्रामीण विकास मंत्रालय और जीआरआईपी के आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल को समझना ।

2) आंतरिक लेखा परीक्षा का परिचय: बुनियादी अवधारणाओं और जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के तरीकों को समझना ।

3) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अवलोकन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का आवेदन ।

इन तीन मॉड्यूल को छह दिनों में 16 कक्षा सत्रों में कवर किया गया । व्याख्यान, समूह कार्य और व्यक्तिगत प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया । पहले दिन, जोखिम पर आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की अवधारणा, उपयोगिता और कार्यप्रणाली पर व्याख्यान श्री यू.एस. पंत, सेवानिवृत्त सीसीए, विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया, श्री यशु शर्मा, एसीए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एमओआरडी के आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल के परिचय और उपयोग के लिए मार्गदर्शन और एमओआरडी की पिछली आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा पर सत्र लिया । श्री वाई.वी. कृष्णा राव, आंध्र प्रदेश सरकार, पीएजी के संसाधन व्यक्ति और श्री विजया कुमार ने आंतरिक लेखापरीक्षा की बुनियादी अवधारणाओं और सत्र 2 और दिन 3 (मॉड्यूल 2) पर जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा करने की कार्यप्रणाली पर सत्र लिया ।

डॉ. धीरजा, डॉ. श्रीनिवास सज्जन, श्री करुणा मुथैया और श्रीमती ससीरेखा द्वारा चौथे दिन मनरेगा, पीएमएवाईजी, एनएसएपी और पीएमजीएसवाई पर समानांतर सत्र आयोजित किए गए । इन सत्रों के दौरान चार मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में एक परिचय प्रदान किया गया । इसके बाद कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल जोखिमों की पहचान करने पर समूह कार्य किया गया । फ्लैगशिप योजनाओं पर समूह कार्य के बाद, चार समूह ने कक्षा में पहचाने गए जोखिम मैट्रिक्स प्रस्तुत किए । 5 वें दिन पर, प्रतिभागियों को डॉ. वी. के. रेड्डी और डॉ. राजेश द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण विधियों से परिचित कराया गया । के. सिन्हा निम्नलिखित प्रतिभागियों को सीएसए टीम द्वारा मूल्यांकन किए गए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यक्तिगत प्रस्तुतियां देने के लिए कहा था । अंतिम दिन, आंध्र प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिट के निदेशक श्री जी. श्रीकांत ने आंध्र प्रदेश में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य पर एक व्याख्यान दिया । इसके बाद मूल्यांकन और समापन सत्र आयोजित किया गया । चार राज्यों (दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश) के एसआईआरडी का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 17 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया ।

जीपीडीपी के लिए जन योजना अभियान, 2019 – 'सबकी योजना सबका विकास'

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में जन योजना अभियान 2019 के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के प्रतिभागी

ग्राम पंचायत के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया जाता है । स्थानीय लोकतंत्र और लोगों के नेतृत्व वाले विकास को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने देश भर में 2 अक्तूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक जीपीडीपी (सबकी योजना सबका विकास) की तैयारी के लिए संयुक्त रूप से जन योजना अभियान चलाया था । इस अभियान के दौरान, 2019-20 के लिए जीपीडीपी की तैयारी के लिए कई गतिविधियाँ की गईं । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, हैदराबाद ने इस अभियान के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । इसी तरह के उद्देश्यों के साथ, जन योजना अभियान 2019 को 2 अक्तूबर, 2019 को आरंभ किया गया और सभी ग्राम पंचायतों में गतिविधियाँ की जा रही हैं ।

एनआईआरडीपीआर ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण प्रश्नावली (अब, 29 विषयों को कवर करने वाले 143 मापदंडों) को संशोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि अंतराल को प्रभावी ढंग से पहचाना जा सके और साक्ष्य आधारित योजना तैयार करने में ग्राम पंचायतों का समर्थन कर सके । एनआईआरडीपीआर द्वारा हैदराबाद (6 - 7 सितम्बर, 2019) को अभिमुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किए गए और गुवाहाटी में (12 -13 सितंबर, 2019) से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इस वर्ष के अभियान के लिए टोन सेट किया है ।

इस अभियान के भाग के रूप में, जीपीडीपी की गुणवत्ता के पहलुओं पर विशेष जोर देने के साथ, व्यापक जीपीडीपी की तैयारी में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संभालने के लिए विषय आधारित क्षेत्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया ।

हाल ही में, लखनऊ में चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया (भारत-गंगा के मैदानी क्षेत्र से छह राज्यों को कवर करते हुए), ऋषिकेश (हिमालयी क्षेत्र के पांच राज्यों) और चेन्नई (नौ राज्यों और तटीय क्षेत्र से पांच केंद्र शासित प्रदेशों) में, और रायपुर में (10 पीईएसए राज्यों को कवर) किया गया । राज्यों में विभिन्न हितधारकों में जीपीडीपी के बारे में जागरूकता पैदा करना और जीपीडीपी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, इन कार्यशालाओं के प्रमुख परिणामों में से एक है । इन सभी प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का समन्वय पंचायती राज, एनआईआरडीपीआर के केंद्र के संकाय द्वारा किया गया ।

श्री राहुल भटनागर, सचिव, एमओपीआर ने 24 अक्तूबर, 2019 को लखनऊ में जन योजना अभियान क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया

श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड 10 अक्टूबर, 2019 को ऋषिकेश में जन योजना अभियान क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर प्रतिभागियों के साथ

एनआईआरडीपीआर में आयोजित की गई ईटीसी की दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (दाएं से पहली पंक्ति में पांचवे) और श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (दाएं से पहली पंक्ति में चौथे) राष्ट्रीय संगोष्ठी के अन्य प्रतिभागियों के साथ

22 -23 अक्टूबर, 2019 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में ईटीसी की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 66 ईटीसी के प्राचार्य, प्रमुख और वरिष्ठ संकाय सदस्य, एनआईआरडीपीआर के संकाय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी और एसआईआरडी, राज्य सरकारों और एनआईआरडीपीआर के राज्य लिंक अधिकारियों के कुछ प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।

उद्घाटन सत्र

डॉ. किरण जालेम, सहायक प्रोफेसर और प्रमुख, सीआरटीसीएन द्वारा मुख्य अतिथि और प्रतिभागियों के स्वागत के साथ संगोष्ठी शुरू हुई। विचार-विमर्श के लिए कार्यक्रम अनुसूची और मुद्दों पर संक्षिप्त जानकारी देते हुए, डॉ. जालेम ने क्षमता निर्माण के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया और इस प्रयास में ईटीसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। अनुसूची का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके अनुभवों और प्रतिबिंबों के संदर्भ में ईटीसी से अधिक सुनने का प्रयास है और एसआईआरडी और एनआईआरडीपीआर के साथ सहयोग करने के लिए अपनी ताकत का लाभ उठाने के लिए उचित स्तरों पर कार्रवाई के लिए विशिष्ट बिंदुओं को तैयार करना।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, भौतिक संरचना के संदर्भ में अंतराल पर जोर दिया, ईटीसी में उपलब्ध संकाय पद और संसाधनों को बड़ी संख्या में पदाधिकारियों के रूप में तैयार करने की आवश्यकता है, जो ब्लॉक, जिला या विभिन्न लाइन विभागों में काम कर रहे हैं, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है। इतनी बड़ी संख्या में ईआर, कर्मियों और अन्य हितधारकों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए जैविक संयोजनों को विकसित करने की आवश्यकता है । उन्हें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जो एक सीमित समय सीमा के भीतर हो ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो।

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, ने अपने उद्घाटन भाषण में जोर दिया कि संगोष्ठी का उद्देश्य ग्रामीण लोगों की अपेक्षा को पूरा करने के लिए उद्देश्यों को फिर से परिभाषित करना है और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन और इसके लिए उनके योगदान के संदर्भ में ईटीसी को क्या भूमिका निभानी होगी पर सोचें । जबकि क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, भावुक नेतृत्व विकसित करना और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों के अनुभवों से सीखना । प्रशिक्षण की गुणवत्ता एक और क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है; जबकि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से ज्ञान तक पहुंच आसान हो गया है, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निम्न स्तर पर हितधारकों के कौशल पर ईटीसी की भूमिका अधिक होनी चाहिए । एक शिक्षण गतिविधि के रूप में सफलता की कहानियों की तैयारी शिक्षण सामग्री को समृद्ध करने के लिए की जानी चाहिए।

देश में 90 ईटीसी हैं। इन संस्थानों के अधिकांश पूर्व ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र (जीटीसी), पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र (पीआरटीसी), और ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र (वीडीओटीसी) थे, जिन्हें बहुउद्देशीय ग्राम विकास कार्यकर्ताओं और पीआरआई के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत पचास के दशक के दौरान स्थापित किया गया। हालांकि, क्षेत्र की वास्तविकता से पता चलता है कि ये ईटीसी, जो कि फ्रंटलाइन प्रशिक्षण केंद्र हुआ करते थे, अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे, संकाय और अन्य संसाधनों में सीमाओं के कारण उभरते प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं।

इसलिए, इन वर्षों में, ग्रामीण विकास के लिए, इन प्रशिक्षण संस्थानों को दूसरों के बीच मजबूत करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। केंद्रीय योजना के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता प्रदान की और जिला योजना प्रक्रिया को मजबूत करना, एसआईआरडी और ईटीसी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों की प्रशिक्षण गतिविधियों का समर्थन कर रहा है।

ग्रामीण विकास और विकास पेशेवरों की क्षमता निर्माण के बढ़ते महत्व के लिए नई पहल के उभरते संदर्भ में ईटीसी के प्रदर्शन की समीक्षा करने हेतु राष्ट्रीय संगोष्ठी की योजना बनाई गई । बड़ी संख्या में कर्मियों को ब्लॉक और गांव के स्तरों पर प्रशिक्षित किया जाना, ईटीसी की प्रमुख भूमिका इन कर्मियों की क्षमता निर्माण है । ईटीसी के वार्षिक निष्पादन की समीक्षा के अलावा, केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत प्रदान किए गए आवर्ती अनुदान के बुनियादी ढांचे, संकाय और मानक पद्धति से संबंधित मुद्दे कार्यसूची और विचार-विमर्श का भाग है । इसके अलावा, पीआरआई और ग्रामीण विकास और पंचायती राज प्रमुख कार्यक्रमों के लिए क्षमता निर्माण में ईटीसी की भूमिका और योगदान पर चर्चा की गई ।

ईटीसी के संस्थागत प्रबंधन और निष्पादन के विभिन्न आयामों पर मुद्दों की पहचान की गई है । इनमें प्रशिक्षण, अनुसंधान और ग्रामीण विकास, पीआरआई और संकाय विकास कार्यक्रम, संकाय, प्रशासन और नेटवर्किंग, वित्त पोषण के कार्यकताओं की क्षमता निर्माण, राजस्व के अपने स्रोत बढ़ाने के साधन (ओएसआर), भौतिक कोष की स्थापना और भौतिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने की समीक्षा शामिल है ।

- मॉडल ईटीसी

विचार-विमर्श के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई ताकि वही कार्यसूची की चर्चा का आधार बन सके । कार्य समूहों के माध्यम से विचार-विमर्श की सुविधा, इसके पश्चात् प्रस्तुतीकरण और समूह निष्कर्ष पर चर्चा । इस प्रकार, आरंभिक और उद्घाटन सत्र के बाद, जिसमें विचार-विमर्श के लिए स्वर निर्धारित किया, प्रतिभागियों को ध्वजांकित मुद्दों पर चर्चा करने और आगे की कार्रवाई के प्रस्तावों को तैयार करने के लिए चार समूहों में बांटा गया । इन्हें प्रस्तुत किया गया और सिफारिशों को उनकी प्रस्तुतियों और पूर्ण सत्रों में अन्य समूहों की प्रतिक्रिया के बाद ठीक किया गया ।

कार्यसूची के अलावा, पीएफएमएस, टीएमपी, आदि पर प्रस्तुतियां और सत्र भी किए गए । ब्रह्मकुमारियों द्वारा 'संपूण मानवता – ग्रामीण गरीबों की सेवा का तरीका' एनआईआरडीपीआर द्वारा योजना की गई कार्यक्रम का एक विशेष सत्र के अलावा डॉ. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीपीआर, एनआईआरडीपीआर द्वारा मास्टर वक्ताओं के प्रमाणन पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति आयोजित की गई । परिसर में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) की यात्रा का आयोजन विभिन्न ग्रामीण तकनीकों में प्रतिभागियों को पेश करने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकृति और स्थानांतरण के लिए उनके दायरे को देखने के लिए किया गया । अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मुद्दे जो एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडी और ईटीसी स्तरों पर शुरू किए जाने हैं, कार्यक्रम के समापन भाग में शामिल किए गए । डॉ. किरण जालेम, श्री एम. पापी रेड्डी और सीआरटीसीएन दल ने कार्यक्रम का समन्वयन किया ।

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, संगोष्ठी के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

असंतुष्ट स्थानांतरण की जाँच: ओडिशा के नुआपाड़ा ब्लॉक से एक मामला अध्ययन

सर्वे करते युवा पेशेवरों का दल

असंतुष्ट स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाने वाली एक घटना है जहाँ लोग भोजन की असुरक्षा, गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी आदि कारकों के कारण बेहतर आजीविका के अवसरों की तलाश में अन्य क्षेत्रों में पलायन करते हैं।

निम्नलिखित अध्ययन ओडिशा के नुआपाड़ा और बलांगीर जिलों में युवा पेशेवरों की एक टीम द्वारा किए गए घरेलू सर्वेक्षण पर आधारित है, ताकि असंतुष्ट स्थानांतरण और इसे कम करने के तरीकों के बारे में पता लगाया जा सके।

उन्हें नुआपाड़ा और बलांगीर जिलों के तीन ब्लॉकों में घरेलू सर्वेक्षण की निगरानी का काम दिया गया। इस उद्देश्य के लिए पहचाने गए ब्लॉक नुआपाड़ा जिले के नुआपाड़ा ब्लॉक, बेलपाड़ा और बलांगीर जिले के खपरखोल ब्लॉक थे।

नुआपाड़ा ब्लॉक में, 10 ग्राम पंचायतों को घरेलू सर्वेक्षण के लिए चिन्हित किया गया और वे बिरोमल, कुलीबांधा, जम्पानी, बोइरभडी, कोटेनचुआन, सलीहा, साहिपला, दरीलामुंडा, कोडोमेरी और बुडीपाली हैं। लेखक की टीम कुलीबांधा और बिरोमल ग्राम पंचायतों को आवंटित की गई। डेटा संग्रह के लिए एक सर्वेक्षण प्रारूप तैयार किया गया और जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के सामुदायिक वक्ताओं और मास्टर बुक कीपर को दी गई।

सर्वेक्षण का संचालन करते समय, दल कई ग्रामीणों के सामने आई, जो अन्य राज्यों में ईंट की भट्टियों में काम करने के लिए विशेष रूप से जनवरी से जून के मौसम के दौरान हर साल पलायन कर रहे थे। जब जांच की गई, तो ग्रामीणों ने जवाब दिया कि उन्हें शायद ही किसी अन्य विकल्प के साथ छोड़ दिया गया हो और केवल प्रवास उनके अस्तित्व का एकमात्र समाधान था। जिन कारणों का उन्होंने उल्लेख किया है, वे जनवरी से जून तक आय के नियमित स्रोत और रबी मौसम के दौरान सिंचाई सुविधा की कमी के कारण थे।

असंतुष्ट स्थानांतरण के बारे में तथ्य

अधिकांश किसान खरीफ मौसम में ही कृषि करते हैं, क्योंकि रबी मौसम के दौरान सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। खरीफ सीजन के दौरान, वे ज्यादातर धान उगाते हैं, जिसे वे दिसंबर तक काटते हैं। बाद में, वे उत्तर प्रदेश, ओडिशा और अन्य स्थानों के ईंट भट्ठों में चले जाते हैं। उनके पास अपने गांव में कृषि के अलावा आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उन्हें आय का एक नियमित स्रोत प्रदान नहीं कर सकती थी। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, श्रम ठेकेदारों ने इन ग्रामीणों के लिए एक योजना की परिकल्पना की, जिससे ग्रामीणों और स्वयं दोनों को लाभ हो। ये श्रमिक ठेकेदार शून्य प्रतिशत ब्याज दर के साथ ग्रामीणों को अग्रिम पैसा प्रदान करते हैं। अग्रिम के लिए योजना सारणीबद्ध रूप में नीचे दी गई है।

वे उन्हें उत्तर प्रदेश और ओडिशा के विभिन्न स्थानों पर ईंट भट्टों में काम करने के लिए कहा जाता हैं ताकि वे पैसे वापस कर सकें। श्रम ठेकेदारों द्वारा आने और जाने का यात्रा शुल्क भी अदा किया जाता है। वे किसी भी आपातकालीन उद्देश्यों, विवाह, परिवार में मृत्यु की किसी भी घटना आदि के लिए धन प्रदान करते हैं। यह सब शून्य प्रतिशत ब्याज के साथ आता है। श्रम ठेकेदारों की योजना बहुत ही आकर्षक है और इसने ग्रामीणों को पलायन करने के लिए मजबूर किया है। जबकि ग्रामीण ईंट-भट्टों में काम करते हैं, जो उन्हें प्रदान किया जाता है।

श्रम ठेकेदारों द्वारा भोजन के लिए रुपये 650 से रुपये 1,500 तक प्रति सप्ताह दिये जाते हैं। ग्रामीण वहां रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था करते हैं। श्रम ठेकेदारों द्वारा प्रदान की गई मौद्रिक सहायता को शून्य प्रतिशत ब्याज के साथ ऋण माना जाता है।

इस बीच, ईंट भट्टे 1,000 ईंट बनाने के लिए रुपये 1,000 प्रदान करते हैं। लेकिन जैसे ही ये ग्रामीण श्रमिक ठेकेदारों के माध्यम से आते हैं, उन्हें 650 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति 1,000 ईंटों का श्रम शुल्क मिलेगा और बाकी पैसा ठेकेदारों को कमीशन के रूप में जाता है। अगर ग्रामीण श्रमिक ठेकेदारों के समर्थन के बिना ईंट भट्टों पर आते हैं, तो उन्हें 1.000 ईंटों के लिए 1.000 रुपये मिलते हैं। ये ग्रामीण जल्द से जल्द अग्रिम पैसा चुकाने के लिए ओवर टाइम करते हैं।

इन ग्रामीणों को प्रवास करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है,

क्र.संख्या	ईंट भट्टों पर जाते परिवार के सदस्य	अग्रिम राशि
1.	2. परिवार सदस्य	50,000 तक
2.	3. परिवार सदस्य	70,000 तक
3.	4. परिवार सदस्य	1,00,000 तक

संकट प्रवास की जांच करना छोड़ दिया गया है: नुआपाड़ा ब्लॉक से एक मामला अध्ययन, ओडिशा युवा पेशेवारों की दल सर्वे कर रहे हैं क्योंकि उनके पास यहां कोई नियमित काम नहीं है । ग्रामीणों को समझ में आ रहा है कि ये श्रम ठेकेदार केवल अग्रिम भुगतान करने के जोखिम के अलावा कुछ भी किए बिना पैसा कमा रहे हैं । वे इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है । ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार एक ऐसी योजना शुरू करती है जो श्रम ठेकेदारों के समान ही सुविधा प्रदान करती है, तो पलायन को कम किया जा सकता है क्योंकि कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है ।

घरेलू सर्वेक्षण प्रगति पर है

ग्रामीणों और श्रम ठेकेदारों को स्थानांतरण का लाभ

स्थानांतरण का लाभ ग्रामीणों और श्रम ठेकेदारों दोनों को जाता है । ग्रामीणों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर के साथ अग्रिम भुगतान, समय पर भुगतान, किसी भी आपात / विवाह के लिए मौद्रिक सहायता, ठेकेदारों द्वारा आसानी से डोर-टू-डोर सेवा, ईंट भट्टों पर नियमित काम और त्योहार की छुट्टियों के साथ अग्रिम भुगतान मिलता है । इसके अलावा, काम करने की कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि वे अगले साल भी कर्ज चुका सकते हैं । प्रवास का लाभ ग्रामीणों और श्रम ठेकेदारों दोनों को जाता है । दूसरी ओर, श्रम ठेकेदारों को भी कमीशन के रूप में 150 रुपये से लेकर 350 रुपये प्रति 1000 ईंटों का लाभ मिलता है । वे वास्तव में ईंट भट्टों में प्रवासियों को उलझाकर उचित मात्रा में धन कमाते हैं ।

स्थानांतरण को रोकने के लिए संभावित हस्तक्षेप

स्थानांतरण को रोकने का एकमात्र तरीका इन ग्रामीणों को उनके गांव या आस-पास के क्षेत्रों में आय का एक नियमित स्रोत प्रदान करना है । अन्यथा, वे बेहतर विकल्पों की तलाश में पलायन करेंगे । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नियमित काम और समय पर मजदूरी का भुगतान प्रवासन को कम कर सकता है । दल ने ग्राम पंचायत स्तर फेडरेशन के सदस्यों के साथ प्रवास को कम करने के लिए एनआरएलएम के तहत संभावित हस्तक्षेप के बारे में भी चर्चा की । साथ ही, ग्रामीणों को साल भर उचित सिंचाई सुविधा का प्रावधान इस मुद्दे की जाँच कर सकता है ।

ग्राम पंचायत स्तर महासंघ को ग्राम पंचायत में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहाँ सामुदायिक बोरवेल ड्रिल किए जा सकते हैं । ये बोरवेल 5-10 स्वयं सहायता समूह के घरों में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति कर सकते हैं । बोरवेल स्थापित करने की लागत सामुदायिक निवेश निधि ऋण / बैंक ऋण / स्वयं के कोष से पूरी की जानी चाहिए । फिर ग्राम पंचायत स्तरीय महासंघ को बोरवेलों को ड्रिल करने की मंजूरी के लिए ग्राम रोजगार सेवक, कार्यकारी अधिकारी और सरपंच के माध्यम से खंड विकास अधिकारी को प्रस्ताव रखना चाहिए । ग्राम पंचायत स्तरीय महासंघ को बोरवेल का उचित स्थान खोजने के लिए कृषि विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन लेना चाहिए । इस तरह, ग्रामीणों को रबी मौसम में सिंचाई की सुविधा मिलती है और वे पलायन नहीं करेंगे ।

ग्राम पंचायत स्तर महासंघ ग्राम पंचायतों में व्यवहार्यता के अनुसार मुर्गी पालन और बकरी पालन जैसे अन्य आजीविका हस्तक्षेप के लिए जा सकता है ।

डाटा संग्रहण प्रगति पर है ।

ग्राम पंचायत स्तरीय महासंघ को भी बाजार से बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादों जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, आदि की थोक खरीद करनी चाहिए और कृषि उत्पादों का सामूहिक विपणन करना चाहिए । एक बार जब ग्रामीण रबी के मौसम में कृषि करना शुरू करते हैं, तो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण बेहतर परिणाम के लिए 18 से 35 आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को दिया जाता है ।

श्री अनुराग कुशवाहा
युवा व्यवसायकर्ता
ओडिशा आजीविका मिशन

DETAILS	POST GRADUATE DIPLOMA IN RURAL DEVELOPMENT (ONE YEAR FULL TIME RESIDENTIAL PROGRAMME) MANAGEMENT (PGDRDM) 2020-21 BATCH-18)	POST GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT - RURAL MANAGEMENT (PGDM-RM) 2020-22 BATCH-3 APPROVED BY AICTE (TWO YEARS FULL TIME RESIDENTIAL PROGRAMME)
HOW TO APPLY:	Applications are to be submitted online only at www.nirdpr.org.in/pgdrdm.aspx.	
RESERVATION:	Reservations for the students of the SC/ST/OBC(Non-creamy layer) EWS and Personswith Disability (PWD) will be made as per the Government of India norms.	
LAST DATE :	**Last date for online submission is 10-04-2020. Applications received after the last date shall not be accepted.**	
ELIGIBILITY	•Minimum 50 per cent marks (45 per cent marks for SC/ST and PWD candidates) or equiva lent in Graduation. •Valid Score in CAT / XAT / MAT / CMAT / ATMA / GMAT for admissions (or) Selection of candi-dates will be made through a process of All-India Entrance Test which will test the verbal, quanti-tative and analytical competencies of the students including English Language • Students, who are in the final year and expect to complete all the requirements before **15th June 2020,** may also apply. **ENTRANCE TEST:** The entrance test will be conducted at Bhopal, Bhubaneswar, Chennai,Guwhati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, New Delhi, Patna, Pune and Thiruvanantapuram. However, NIRDPR reserves the right to cancel any of the centres or add new centres for any administrative reasons and assign any other centretothe applicants.	• Minimum 50 per cent marks (45 per cent marks for SC/ST and PWD candidates) or equivalent in Graduation. • Valid Score in CAT / XAT / MAT / CMAT / ATMA / GMAT for admissions (or) • Students, who are in the final year and expect to complete all the requirements before **15th June 2020,** may also apply.
Mode of Selection	Apart from eligibility conditions group discussion and personal interviews will be conducted for the short-listed candidates at NIRDPR, Hyderabad.	
Course Fee	Rs.1,80,000/- per annum	
Encouragement/ Scholarship	The North Eastern Council, Shillong, will be approached for giving fellowships to economically backward students of North Eastern States. During the course, based on the performance trimes-ter-wise (more than 8 GPA) of the students, fee concessions will be provided in the subsequent next trimester as a matter of encouragement.	
For Details log on to	Web: http://www.nirdpr.org.in/ pgdrdm.asp Phone No.: 91-040-24008460, 442; 556	

Admission Notification for Distance Mode Courses

1. Post Graduate Diploma in Sustainable Rural Development (PGDSRD) Twelfth Batch (2020-21)
2. Post Graduate Diploma in Tribal Development Management (PGDTDM) Ninth Batch (2020-21)
3. Post Graduate Diploma in Geo-Spatial Technology Applications in Rural Development (PGDGARD) Fifth Batch (2020-21)
4. Diploma Programme on Panchayati Raj Governance & Rural Development (DP-PRGRD) Second Batch (2020)

Applications from aspiring candidates are invited for admission into above Distance Mode Courses commencing from 1st January, 2020. The minimum educational qualification for admission is Graduation in any discipline from UGC recognized Universities. Please visit our Website www.nird.org.in/dec.aspx for further details and to submit online application. The last date for receipt of filled-in applications is 31st December, 2019. For further queries, you may contact us through website.

Sd/
Prof. & Head (CPGS&DE)

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा
एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन